# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—151 / 2021 (2021 / 388) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गोपीनाथ आत्मज हजारीनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—सुवानाथ आत्मज हजारीनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—जगदीश आत्मज प्रताप रेगर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—बीरम आत्मज रामा बैरवा निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—अमरसिंह आत्मज बख्तावरसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर
5—दरियावकंवर पत्नि बालुसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—फतहसिंह आत्मज बख्तावरसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर
7—नानुराम आत्मज दुदा गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—बरदु आत्मज हमीर गुर्जर निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. राजु नायक — प्रार्थी अधिवक्ता
2. हरिश टेलर — विपक्षी अधिवक्ता

## निर्णय

दिनांक 22.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी एव विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 739 रकबा 0.20 है0, 741 रकबा 0.08 है0, 742 रकबा 0.19 है0, 743 रकबा 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि स्थित है प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। उक्त वर्णित आराजियात के साबिक आराजी संख्या 96 / 1 रकबा 3 बीघा थे प्रमाण में नकल मिलान क्षेत्रफल एवं साबिक नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात के साबिक रेकार्ड अनुसार नम्बर तो सही कायम किये परन्तु भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो द्वारा नक्शे में फेरबदल करते हुए गैर कानुनी तरीके से साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा कायम नही कर साबिक आराजी संख्या 96 / 1 का नक्शा उतरी ओर घुमावदार होते हुए भी नवीन नक्शे को सीधा दर्शाते हुए प्रार्थी की आराजियात के नवीन नक्शे को छोटा करते हुए उसे विपक्षी संख्या 2 व 3 की आराजी संख्या 723 व 740 तथा विपक्षी संख्या 4 लगायत 6 की आराजी संख्या 737 जिसके हाल आराजी संख्या 2509 / 737 एवं 2502 / 737 की ओर बढ़ा दिया गया है। प्रार्थी के नक्शे के अनुरूप तरमीम नही कर छोटा कर दिया है। जिससे साबिक नक्शे के अनुरूप नक्शे में दुरस्ती किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः [illegible] कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजियात के नवीन [illegible] साबिक नक्शे के अनुसार दुरस्त करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के [illegible]

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को [illegible] संख्या 1 लगायत [illegible] 7, 8 बावजुद नोटिस जारी किये गये। नोटिस [illegible] [illegible] या एवं विपक्षी सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया [illegible] संख्या 4 लगायत 6 की ओर अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने जवाब प्रस्तुत नही कर तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:35 IST
Reason: SelfAttested

रायपुर से मौका मंगवायी जाने का निवेदन किया गया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी सहमति दी गई।

उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया जिस पर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर से मौका स्थिति बाबत् मौका रिपोर्ट ली गई।

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट की गई कि दोनो पक्ष अपने अपने नाम दर्ज आराजियात पर काबिज है दोनो पक्षो के मध्य भूमि के कब्जे को लेकर कोई विवाद नही है। वक्त आंवटन से ही प्रार्थी इसी जगह काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसी आराजी के पुर्व की ओर मौके पर रास्ता स्थित है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर की रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी साबिक नम्बर में आंवटित भूमि पर वक्त आवंटन से काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसी तरह विपक्षीगण भी अपने नाम दर्ज भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। दोनो पक्षो के मध्य कब्जे को लेकर कोई विवाद नही है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जो साबिक नक्शा ट्रेस पेश किया गया है उसमें रास्ते बाबत् कोई ट्रेस प्रस्तुत नही किया गया है जबकि प्रार्थी को आवंटन के दौरान भी मौके पर रास्ता होने पर ही नवीन भू प्रबन्ध के दौरान रास्ता दर्ज किया गया है। मौके पर दोनो पक्ष जिस रूप में अपनी अपनी आराजी पर काबिज है उनके मध्य कोई विवाद नही है। आंवटन हुए काफी वर्ष हो चुके है। भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा भी परिपत्र जारी किये गये कि मौके पर आंवटी काबिज होकर अपनी सीमा निर्धारित कर रखी है किन्तु नक्शे के आधार पर अगर 1 गट्टा जमीन भी उसकी सीमा से बाहर आती है तो उसको मौका स्थिति को डिस्टर्ब नही किया जाना चाहिये नक्शा में जो सीमा की लाईन निर्धारित की जाती है वो भी कही–कही गट्टा या 2 गट्टा की हो सकती है जिसके आधार पर विवाद पैदा नही हो। इस प्रकरण में दोनो पक्ष काबिज है और कब्जे का कोई विवाद नही है अगर कुछ रकबा कही कम भी प्रतीत होता है तो पास में सरकारी रास्ता जा रहा है जो सार्वजनिक है उसको भी डिस्टर्ब नही किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रकरण में इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि प्रार्थी व विपक्षीगण जहां काबिज है उसी अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहेंगे नक्शे में किसी प्रकार का संशोधन किये जाने की गुजाईश नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

## आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाता है। सूचनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:21:35 IST
Reason: SelfAttested

22/03/2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)